

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

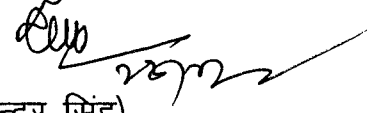
क्रमांक B/314/

जबलपुर, दिनांक 24/05/2025

II-14-66/91

श्रीमति अश्विनी गुंडीगांवकर, सीनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर को म.प्र. सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 के नियम 13 (2) के अनुसार दिनांक 13.05.2025 से 11.06.2025 तक 30 दिन के सेवानिवृत्त पूर्व अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार


(धरमिन्दर सिंह)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/3142/

जबलपुर, दिनांक 24/05/2025

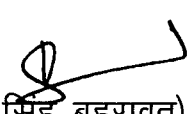
II-14-66/91

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक Memo No. Admin/Leave/1220/ Indore दिनांक 23/04/2025 के संदर्भ में श्रीमति अश्विनी गुंडीगांवकर, सीनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर का निर्धारित प्रपत्र को वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (आई.टी.-सी.एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)